श्री हिमांशु शर्मा, भा.प्र.से., जिला पदाधिकारी, अररिया की अध्यक्षता में दिनांक 7.5.2016 को जिला समन्वय समिति (राजस्व एवं आंतरिक संसाधन) की सम्पन्न बैठक की कार्यवाही।

उपस्थिति : पंजी के अनुसार।

1. **राजस्व संग्रहण : (क) वाणिज्य कर** : माह अप्रैल, 2016 में 180.02 लाख रूपया की वसूली की गई है, जो निर्धारित लक्ष्य का 84.82 प्रतिशत है। आज की बैठक में सहायक आयुक्त, वाणिज्य कर, फारबिसगंज ने बताया कि डी0आर0डी0ए0 से फंड ट्रांसफर नहीं करने के कारण पंचायतों की योजनाओं के VAT की राशि तथा उत्पाद विभाग द्वारा विदेशी शराब मद के कर की राशि लगभग 3.26 करोड़ रूपया वर्ष 2015–16 का वाणिज्य कर विभाग में जमा नहीं हो सका है। सहायक आयुक्त द्वारा जिला पदाधिकारी से इस राशि को उत्पाद अधीक्षक एवं उप विकास आयुक्त से अतिशीघ्र जमा कराने का अनुरोध किया गया। आज की बैठक में पुनः संबंधित पदाधिकारी को अविलम्ब VAT की राशि को जमा करने का निदेश दिया गया।

(ख) उत्पाद : माह अप्रैल, 2016 में 10.55 लाख रूपया की वसूली की गई है। बताया गया कि उक्त राशि दिनांक 01.04.2016 से 04.04.2016, कुल 4 दिन की राजस्व राशि है। उत्पाद अधीक्षक को निदेश दिया गया कि बकाया कर की वसूली शराब के लाईसेंसी दूकानदारों की सीक्योरिटी राशि वापस करने के समय कर ली जाय।

(ग) परिवहन : माह अप्रैल, 2016 में 110.48 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(घ) खनन : माह अप्रैल, 2016 में 185.35 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(ड.) निबंधन : जिला अवर निबंधन कार्यालय, अररिया, अवर निबंधन कार्यालय, फारबिसगंज एवं अवर निबंधन कार्यालय, जोकीहाट के द्वारा माह अप्रैल, 2016 में कुल 252.40 लाख रूपया की वसूली की गई है। अवर निबंधक, फारबिसगंज ने बताया कि उनके यहाँ खेसरा पंजी का कुछ कार्य लंबित है। इसे शीघ्र पूरा करने का निदेश दिया गया।

(च) राष्ट्रीय बचत : माह अप्रैल, 2016 में –18.07 लाख रूपया की उपलब्धि की गई है। जिसमें ज्यादा राशि प्री मेच्युर में निकासी की गई है।

(छ) भू–लगान : कुल वार्षिक लक्ष्य 520.77 लाख रूपया के विरूद्ध माह अप्रैल, 2016 में 2.23 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(ज) सैरात : कुल वार्षिक लक्ष्य 79.22 लाख रूपया के विरूद्ध माह अप्रैल, 2016 में 64.74 लाख रूपया की वसूली की गई है, जो निर्धारित वार्षिक लक्ष्य का 81.72 प्रतिशत है। अपर समाहर्त्ता द्वारा सैरात का विस्तृत प्रतिवेदन (पूर्ण सूचना के साथ) की माँग पुनः आज की बैठक में सभी अंचलाधिकारियों से की गई। निदेश दिया गया कि 7 दिनों के अंदर प्रतिवेदन भेजा जाय। अबंदोबस्त सैरात एवं परता घोषित सैरात की सूची एवं परता का प्रस्ताव भी भेजा जाय।

(झ) प्रमाण पत्र : माह अप्रैल, 2016 में वसूली की राशि शून्य है। जिला निलाम पदाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे सभी प्रमाण पत्र पदाधिकारी के साथ उनके द्वारा की गई वसूली की मासिक समीक्षा प्रत्येक माह में करेंगे एवं प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा मासिक समीक्षा की कार्यवाही जिला पदाधिकारी को देंगे।

(ट) नगर परिषद्/नगर पंचायत : नगर परिषद्, अररिया, नगर परिषद्, फारबिसगंज एवं नगर पंचायत, जोगबनी द्वारा माह अप्रैल, 2016 में क्रमशः 21.92 लाख रूपया, 14.09 लाख रूपया तथा 1.51 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(ठ) माप–तौल : माह अप्रैल, 2016 में 0.83 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(ड) सहकारिता बैंक : माह अप्रैल, 2016 में वसूली की राशि शून्य है। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निजी ध्यान देकर राशि वसूली कराने का निदेश दिया गया।

(ढ़) भूमि विकास बैंक : माह अप्रैल, 2016 में 3.69 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(ण) कृषि : माह अप्रैल, 2016 में 0.63 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(त) मत्स्य : जिला मतस्य पदाधिकारी ने बताया कि लक्ष्य अद्यतन अप्राप्त है। राजस्व की वसूली माह जुलाई से प्रारम्भ होगा।

(थ) वन : माह अप्रैल, 2016 में 5.66 लाख रूपया की वसूली की गई है।

(द) सिंचाई प्रमण्डल : कार्यपालक अभियंता, सिंचाई प्रमण्डल, अररिया, बथनाहा एवं नरपतगंज द्वारा माह अप्रैल, 2016 में क्रमशः 0.23 लाख रूपया, 0.11 लाख रूपया तथा 0.14 लाख रूपया की वसूली की गई है।

2. **लगान वसूली** : माह अप्रैल, 2016 में अंचलवार वसूली का प्रतिशत निम्न प्रकार पाया गया :–

अररिया 0.62 प्रतिशत, फारबिसगंज 0.77 प्रतिशत, जोकीहाट 0.75 प्रतिशत, पलासी 0.00 प्रतिशत, सिकटी 0.37 प्रतिशत, कुर्साकांटा 0.80 प्रतिशत, रानीगंज 0.00 प्रतिशत, नरपतगंज 0.00 प्रतिशत एवं भरगामा 0.70 प्रतिशत। पलासी, नरपतगंज एवं रानीगंज अंचल द्वारा माह अप्रैल, 2016 में वसूली का प्रतिशत शून्य रहना दुःखद है। अंचलाधिकारी से निजी ध्यान देकर वसूली करने का निदेश दिया गया। लगान वसूली में निर्धारित लगान से अधिक दर पर लगान वसूली किसी भी परिस्थिति में राजस्व कर्मचारियों द्वारा नहीं किया जाय। सभी अंचलाधिकारियों को राजस्व मौजों का लगान का Compilation Sheet एक माह के अन्दर तैयार करने का निदेश जिला पदाधिकारी द्वारा दिया गया ताकि लगान की माँग को तार्किक किया जा सके।

3. **सैरात** : माह अप्रैल, 2016 में अररिया अंचल द्वारा 127.66%, जोकीहाट अंचल द्वारा 103.83%, पलासी अंचल द्वारा 1.40%, सिकटी अंचल द्वारा 63.71%, कुर्साकांटा अंचल द्वारा 75.86%, रानीगंज अंचल द्वारा 107.40%, फारबिसगंज अंचल द्वारा 100.18%, नरपतगंज अंचल द्वारा 149.39% एवं भरगामा अंचल द्वारा 39.37% प्रतिशत राजस्व की वसूली की गई है। अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अबंदोबस्त सैरातों में जो परता योग्य सैरात है, के संबंध में परता घोषित करने का प्रस्ताव अभिलेख के माध्यम से भूमि सुधार

उप समाहर्त्ता को अविलम्ब भेजें। साथ ही वैसे सैरात जिसकी बंदोबस्ती नहीं हो सकी है, का अविलम्ब बंदोबस्ती कराने की दिशा में कारगर कार्रवाई करें। इसके बावजूद बंदोबस्ती नहीं हो सकने की स्थिति में विभागीय वसूली सुनिश्चित करावें। साथ हीं किसी भी परिस्थिति में सैरात का अतिक्रमण नहीं हो इसे सुनिश्चित करें।

4. दाखिल खारिज : दखिल खारिज वादों की समीक्षा की गई। लंबित वादों की संख्या 1163 है। सबसे ज्यादा नरपतगंज अंचल में 588, अररिया अंचल में 177 तथा जोकीहाट अंचल में 98 मामले लंबित पाये गये। इसके अविलम्ब निष्पादन का निदेश दिया गया।

अस्वीकृत मामलों की समीक्षा की गई। कुल अस्वीकृत मामलों की सं0 249 है। विगत कई बैठकों में नामित नोडल पदाधिकारियों को अस्वीकृत मामलों के कारणों की जाँच हेतु निदेशित किया जाता रहा है। किन्तु कोई भी नोडल पदाधिकारी के द्वारा कारणों की जाँच नहीं की जा रही है। आज की बैठक में उन्हें पुनः निदेशित किया गया कि प्रत्येक मंगलवार को अपने अपने–अपने प्रभार वाले अंचलों में जाकर आर0टी0पी0एस0 एक्ट के तहत् अस्वीकृत दाखिल–खारिज अभिलेखों की जाँच कर उसकी अस्वीकृति का कारण सहित अपना मंतव्य प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे। जिला पदाधिकारी ने अंचल अधिकारी भरगामा को दाखिल–खारिज के पुराने लगभग 3 हजार लंबित मामलों का निष्पादन एक माह में करने का निदेश दिया अन्यथा अंचल अधिकारी के वेतन भुगतान पर रोक लगायी जायेगी तथा आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।

5. ऑपरेशन भूमि दखल देहानी : अपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा बताया गया कि अद्यतन लाभान्वित परिवारों की सूची प्रपत्र–I में जिला के वेबसाईट पर अपलोड किया जाना था। विगत बैठकों में सभी अंचलाधिकारियों को अबतक योजनावार उपलब्ध कराये गये भूमि का अभिलेखों एवं संचिकाओं से जाँचोपरांत अपलोड कराते हुए अंतिम प्रतिवेदन प्रमाण पत्र सहित समर्पित किये जाने का निदेश दिया गया था। सभी अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया कि दो दिनों के अंदर योजनावार लाभान्वित परिवारों की सूची प्रपत्र–I में जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए अंतिम रूप से प्रतिवेदन समर्पित करना सुनिश्चित करेंगे।

ऑपरेशन दखल देहानी के अन्तर्गत प्रपत्र–II में सर्वेक्षित बेदखली के विरूद्ध प्रपत्र–III में दखल दिलाये गये परिवारों के लक्ष्य से सभी अंचलाधिकारी बहुत पीछे है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है :–

प्रपत्र–1 में अपलोड किया गया आँकड़ा माह अप्रैल, 2016 तक अंचलवार निम्न पाया गया :–

अंचल का नाम	प्रपत्र–II	प्रपत्र–III	शेष
अररिया	891	296	595
जोकीहाट	325	131	194
पलासी	77	37	40
सिकटी	102	93	9
कुर्साकांटा	262	197	65
रानीगंज	1064	314	750
फारबिसगंज	544	397	147
नरपतगंज	303	134	169
भरगामा	283	75	208
कुल	3851	1674	2177

सभी अंचलाधिकारियों को विगत बैठक में ही बताया गया था कि विभाग द्वारा पुनः ऑपरेशन दखल देहानी का कार्यक्रम 30 जून, 2016 तक बढ़ाया गया है, जिसका कार्यक्रम जिला स्तर से तैयार कर जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए सभी अंचलाधिकारियों को उपलब्ध करा दिया गया है। सभी संबंधित अंचलाधिकारियों को निदेशित किया गया था कि निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार निर्धारित तिथि को शिविर में स्वयं उपस्थित रहकर बेदखल हुए पर्चाधारियों को शत प्रतिशत दखल दिलाने की कार्रवाई करना सुनिश्चित करें तथा दखल देहानी के उपरांत प्रपत्र III में प्रतिवेदन जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराते हुए उसकी प्रति जिला राजस्व प्रशाखा को भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अंचल अधिकारियों को निदेश दिया गया कि दखल देहानी मामले में गंभीर होने की आवश्यकता है। लगने वाले बेदखली कैम्प में पर्चाधारियों की सूची लेकर जाने एवं तत्काल सूची के अनुसार भौतिक सत्यापन करने, अगर दखलकार नहीं है तथा नया कोई व्यक्ति वर्णित भूमि पर दखलकार पाया जाता है तो वैसे मामलें में सूचित करें। नया बेदखली का मामला आने पर तुरंत अनुमंडल पदाधिकारी को सूचित करें। मान्नीय न्यायालय में यदि किसी बेदखली मामलें में भूधारी द्वारा वाद चल रहा हो तो आदेश पारित होने तक दखल नहीं दिलाया जा सकता है। बेदखल मामलें में किसी प्रकार का विवाद नहीं पाये जाने पर दखल दिलाने में किसी प्रकार की कोताही नहीं वरती जाय।

6. अभियान बसेरा सर्वेक्षण एवं वितरण : अभियान बसेरा अन्तर्गत अबतक रानीगंज अंचल द्वारा 158, कुर्साकांटा 155, पलासी 318, भरगामा 142, अररिया 290, सिकटी 119, फारबिसगंज 434, एवं जोकीहाट अंचल द्वारा 70, कुल 1686 सर्वेक्षित परिवारों की सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराई गई है, जबकि अंचलाधिकारियों द्वारा मासिक प्रतिवेदन में श्रेणीवार सर्वेक्षित परिवारों की सं0 2045 दर्शाया गया है। अंचलाधिकारियों को पुनः आज की बैठक में निदेश दिया गया कि सर्वेक्षण कार्य में तीव्रता लावें तथा जो आँकड़े अपलोड नहीं हुए है, उसे यथाशीघ्र जिला के वेबसाईट पर अपलोड करा दें। साथ ही अपलोड कराने के पश्चात् ही प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अभियान बसेरा के अन्तर्गत श्रेणीवार सर्वेक्षित परिवारों के उपलब्धि के क्रम में अररिया अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 28, सिकटी अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 57, पलासी अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 12, कुर्साकांटा अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 18, जोकीहाट अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 40, अंचल रानीगंज द्वारा बासगीत पर्चा से 31 एवं नरपतगंज अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से 25, कुल 211 श्रेणीवार परिवारों को माह अप्रैल, 2016 तक आच्छादित किया गया है। फारबिसगंज एवं भरगामा अंचल द्वारा बासगीत पर्चा से एक भी व्यक्ति को आच्छादित नहीं किया जाना दुःखद है। निदेश दिया गया कि सभी अंचलाधिकारी इस दिशा में निजी ध्यान देकर कार्य करें।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को निदेश दिया गया कि अभियान बसेरा के अन्तर्गत प्राप्त होने वाले बंदोबस्ती के मामलों में अपने स्तर से भी स्वयं स्थल जाँच कर लें और बंदोबस्ती अभिलेख में अगर किसी प्रकार का आपत्ति पाया जाता है तो संबंधित अंचलाधिकारी को बुलाकर आपत्ति का निराकरण कराते हुए बंदोबस्ती की कार्रवाई शीघ्र कराना सुनिश्चित करें।

7. **शहरी क्षेत्र अन्तर्गत वासविहिन परिवारों का सर्वेक्षण** : अंचल अधिकारी, अररिया द्वारा 460 एवं फारबिसगंज अंचल द्वारा 202 सर्वेक्षित परिवारों की सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड कराई गई है। यह माह फरवरी, 2016 का आँकड़ा है। माह मार्च, 2016 एवं अप्रैल, 2016 में अपलोड का प्रगति शून्य रहना दुःखद है।

8. **शहरी क्षेत्र सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कार्य** : सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कार्य दिनांक 31.07.2015 तक सम्पन्न किये जाने का निदेश संबधित अंचलाधिकारियों को दिया गया था और इसकी सूची जिला के वेबसाईट पर अपलोड करते हुए जिला कार्यालय को भी उपलब्ध कराये जाने का निदेश दिया गया था। किन्तु इसमें अपेक्षित प्रगति अबतक नहीं हुई है। आज की बैठक में निदेश दिया गया कि सरकारी भूमि का सर्वेक्षण कार्य अविलम्ब कराया जाय एवं अनुपालन प्रतिवेदन एक सप्ताह के अंदर समर्पित करें।

संबंधित अंचल अधिकारी, अररिया एवं फारबिसंज को निदेशित किया गया कि दिनांक 31.05.2016 तक इसे शत प्रतिशत सम्पादित करना सुनिश्चित करें।

09. **भूदान** : विगत बैठक में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया के न्यायालय में भूदान सम्पुष्टि के 86 मामले रकबा 156.11½ एकड़ एवं भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, फारबिसगंज के न्यायालय में भूदान सम्पुष्टि के 17 मामले रकबा 88.62½ एकड़, कुल 103 मामले, रकबा 244.74 एकड़ लंबित बताया गया था। अपर समाहर्त्ता, अररिया द्वारा संबंधित भूमि सुधार उप समाहर्त्ताओं को भूदान की भूमि की सम्पुष्टि से संबंधित दिशा–निदेश उपलब्ध कराते हुए मार्च, 2016 माह के अंत तक लंबित मामलों का यथाशीघ्र निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया था ताकि सम्पुष्टि उपरांत सुयोग्य श्रेणियों के बीच भूमि का वितरण सुनिश्चित हो सके। आज की बैठक में पुनः दिनांक 31 मई, 2016 तक लंबित मामलों के निष्पादन का निदेश भूमि सुधार उप समाहर्त्ता को दिया गया।

10. **नामान्तरण शिविर न्यायालय** : नामान्तरण शिविर न्यायालय से संबंधित प्रतिवेदनों की समीक्षा की गई। शिविर में निष्पादनों की प्रगति पर क्षोभ व्यक्त किया गया। विगत बैठक में दिये गये निदेशों का अनुपालन एवं राजस्व शिविर हेतु प्रत्येक मंगलवार को पूर्व से निर्धारित कार्यक्रम अनुसार मामलों का निष्पादन करते हुए शिविर के अगले दिन पूर्वाह्न 10:00 बजे तक विहित प्रपत्र में प्रतिवेदन उपलब्ध कराये जाने का निदेश सभी अंचलाधिकारी को दिया गया।

11. **भू–विवाद के निराकरण हेतु अंचल अधिकारी एवं थानाध्यक्ष द्वारा संयुक्त जनता दरबार का आयोजन** : विगत बैठक में जिला पदाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक द्वारा संयुक्त रूप से सभी अंचलाधिकारियों एवं थानाध्यक्षों को संबोधित करते हुए निदेशित किया गया कि प्रत्येक शनिवार को थाना में शिविर आयोजित कर विवादित मामलों का निष्पादन किये जाने का निदेश दिया गया था एवं विहित प्रपत्र में पाक्षिक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश दिया गया था। किन्तु अद्यतन प्रतिवेदन विहित प्रपत्र में अप्राप्त है। आज की बैठक में सभी अंचलाधिकारी को निदेश दिया गया कि वे इसमें रूचि लेकर थाना स्तर पर जनता दरबार का आयोजन प्रत्येक शनिवार को करावें एवं पाक्षिक प्रतिवेदन दो दिनों के अंदर समर्पित करना सुनिश्चित करें। भू–विवाद से संबंधित मामले जनता दरबार में

अधिक प्राप्त होते हैं। सभी अंचलाधिकारी/थाना प्रभारी संयुक्त रूप से शिविर में उपस्थित रहकर भू–विवाद के मामलों का निष्पादन सुनिश्चित करें। इसमें शिथिलता बरते जाने पर संयुक्त रूप से थानाध्यक्ष एवं अंचल अधिकारी जिम्मेवार होंगे।

12. **जनशिकायत मामले** : बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि उनके स्तर पर जन शिकायत के लंबित मामलों का अविलम्ब निष्पादन कर निष्पादन प्रतिवेदन भेजना सुनिश्चित करें। अन्यथा इसे गम्भीरता से लेते हुए लापरवाही बरतने वाले पदाधिकारी के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की जायेगी।

संबंधित पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे एक सप्ताह के अंदर निष्पादन प्रतिवेदन जिला जन शिकायत कोषांग को भेजना सुनिश्चित करें।

अपर समाहर्त्ता द्वारा बताया गया कि लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के तहत् दिनांक 05.06.2016 से अधिनियम लागू हो जायेगा। इसके माध्यम से प्राप्त आवेदन का निष्पादन समय–सीमा के अंदर किया जाय। इसमें प्रथम अपील एवं द्वितीय अपील करने का प्रावधान किया गया है, जिसकी अवधि एक–एक माह है। निर्धारित अवधि के अंदर निष्पादन नहीं करने पर दंड का प्रावधान किया गया है।

13. **भू अभिलेख कम्पयूटराईजेशन** : नरपतगंज अंचल के मौजा–डुमरबन्ना का भू अभिलेख कम्पयूटरीकरण का कार्य इन्ट्री हेतु अबतक लंबित है। अंचल अधिकारी, नरपतगंज को पुनः आज की बैठक में निदेश दिया गया कि वे मौजा–डुमरबन्ना का चालू खतियान अविलम्ब जिला राजस्व प्रशाखा में जमा करना सुनिश्चित करें।

14. **बासगीत पर्चा** : बासगीत पर्चा वितरण से संबंधित मामलों की समीक्षा की गई। फारबिसगंज अंचल में 69, जोकीहाट में 40, पलासी में 16, सिकटी में 16, रानीगंज में 36, अररिया में 37, कुर्साकांटा में 5 एवं भरगामा में 3 तथा नरपतगंज में 10 मामलें, कुल 232 मामले लंबित पाये गये। सभी अंचलाधिकारियों को निदेश दिया गया कि दिनांक 31.5.2016 तक बासगीत पर्चा के लंबित मामलों का निष्पादन करना सुनिश्चित करें।

15. **ए0सी0/डी0सी0 विपत्र** : लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्रों की विभागवार सूची सभी संबंधित पदाधिकारियों को जिला स्तर से पूर्व में उपलब्ध कराई जा चुकी है। जिनके पास ए0सी0/डी0सी0 विपत्र का मामला लंबित है, वे हर हाल में 31 मई, 2016 तक समायोजन करते हुए शून्य प्रतिवेदन प्रमाण पत्र सहित अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

अपर समाहर्त्ता, अररिया को निदेश दिया गया कि विभागवार लंबित ए0सी0/डी0सी0 विपत्रों का अनुश्रवण करें एवं समायोजन की दिशा में समुचित कार्रवाई सुनिश्चित करें।

16. **सी.डब्लू.जे.सी./एम.जे.सी. मामलें** : मान्नीय उच्च न्यायालय में चल रहे वाद के संबंध में तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा तैयार कर भेजने का निदेश विभिन्न पदाधिकारियों को दिया गया है, जो अधिकांश पदाधिकारियों के स्तर पर लंबित है। निदेश दिया गया कि सभी अंचलाधिकारी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता एवं अनुमंडल पदाधिकारी निजी रूचि लेकर अपने यहाँ लंबित वादों में तथ्य विवरणी/कारण पृच्छा तैयार कर शीघ्र भेजना सुनिश्चित

करें ताकि जिला विधि प्रशाखा से पदाधिकारी को प्राधिकृत कर मान्नीय उच्च न्यायालय में प्रतिशपथ पत्र दायर करने हेतु भेजा जा सके।

17. विधान सभा/राज्य सभा/विधान परिषद् प्रश्न : बैठक में उपस्थित सभी पदाधिकारियों को निदेश दिया गया कि वे अपने कार्यालय स्तर पर विधान सभा/राज्य सभा/विधान परिषद् के प्रश्न का उत्तर सामग्री भेजा जाना यदि लंबित हो, तो निश्चित रूप से एक सप्ताह के अंदर उत्तर सामग्री भेजना सुनिश्चित करें।

अनुपालन की अपेक्षा के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त की गई।

ह0/-

जिला पदाधिकारी,
अररिया

ज्ञापांक 1273/रा0, अररिया, दिनांक 23.5.2016

प्रतिलिपि : आई0टी0 प्रबंधक, अररिया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : अनुमंडल पदाधिकारी, अररिया/ फारबिसगंज, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, अररिया/फारबिसगंज, जिला भू-अर्जन पदाधिकारी, अररिया/जिला आपदा प्रबंधन पदाधिकारी, अररिया/जिला शिक्षा पदाधिकारी/जिला कल्याण पदाधिकारी, अररिया/कार्यपालक पदाधिकारी, नगर परिषद् अररिया/फारबिसगंज/नगर पंचायत, जोगबनी/जिला परिवहन पदाधिकारी/जिला अवर निबंधक, अररिया/अवर निबंधन, फारबिसगंज/जोकीहाट, सहायक वाणिज्य कर आयुक्त, फारबिसगंज/जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी, अररिया/जिला स्थापना उप समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : सभी अंचल अधिकारी, अररिया जिला/सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी, अररिया जिला को सूचनार्थ एवं अनुपालन सुनिश्चित करने हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : अपर समाहर्त्ता, अररिया को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : कार्यालय मंत्री, जिला भूदान कार्यालय, जयप्रकाश नगर, अररिया को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि : आयुक्त पूर्णियाँ प्रमंडल, पूर्णियाँ को सूचनार्थ प्रेषित।

23/5/16

जिला पदाधिकारी,
अररिया